न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3560–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–09–2005 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील जौरा जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 02/अ–19/2004–05

....

इन्द्रवीरसिंह पुत्र कसिया गुर्जर
निवासी ग्राम सिहोरी तहसील जौरा
जिला–मुरैना
हाल निवासी आमपुरा रोड गोपालपुरा मुरैना म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–कृष्णपालसिंह पुत्र रामरतनसिंह सिकरवार
2–सुनीता पत्नी महेश सिंह सिकरवार
3–संगीता पत्नी महेन्द्रसिंह सिकरवार
निवासी ग्राम सिहोरी तहसील जौरा
जिला–मुरैना

...........अनावेदकगण

....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक, आवेदक

श्री एल0एस0धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/15 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू0–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार न्यायालय तहसील जौरा जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि मौजा सिहारी के सर्वे कमांक 2166 रकबा 0.07 आरे, 2260 रकबा 0.25 आरे, 2262 में से रकबा 1.72 आरे कुल रकबा 2.04 आरे के संबंध में अनावेदकगण द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर अनावेदक का कब्जा होने से अनावेदक के हित में भूमि का व्यवस्थापन किया जाये । उक्त आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण कमांक 02/अ–19/2004–05 पर दर्ज कर विधिवत् उद्घोषणा जारी नहीं की और न ही आपत्ति आमंत्रित की तथा पटवारी हल्का से भी स्थल निरीक्षण नहीं कराया जाकर पटवारी रिपोर्ट नहीं ली व पटवारी के कथन लिपिबद्ध नहीं कराये गये । अनावेदक के कथन कराये जाकर स्वतंत्र साक्ष्य प्रकरण में नहीं ली गई । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक गण के हित में दिनांक 13–9–2005 को व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया परन्तु व्यस्थापन आदेश से पूर्व आवेदक को न तो पक्षकार बनाया गया और ना ही व्यवस्थापन से पूर्व आवेदक कब्जाधारी को कब्जे से बेदखल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई । सीधे अनावेदक के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित कर दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13–9–05 से आज दिनांक तक अनावेदक का कोई कब्जा नहीं है । आवेदक ही उक्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर भूमि का उपयोग कर रहा है । आवेदक को मौके से बेदखल किये जाने के लिये अनावेदकगण मौके पर दिनांक 10–9–2012 को कब्जा लेने आये तब सर्वप्रथम तहसील कार्यालय जाकर आवेदक ने रीडर से दिनांक 11–9–12 को जानकारी प्राप्त कर नकल आवेदन दिया व दिनांक 19–9–2012 को तहसील न्यायालय क विवादित आदेश दिनांक 13–9–2005 की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13–9–05 से व्यथित होकर आवेदक के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया है कि आवेदक भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्ति होकर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् नहीं कार्यवाही करते हुये आवेदक के हित में व्यवस्थापित नहीं की गई है । अनावेदकगण का उक्त भूमि पर ना तो कब्जा है और न ही उसे व्यवस्थापन की पात्रता है जबकि नायब तहसीलदार तहसील जौरा द्वारा बिना किसी

किसी अधिकार क्षेत्र के अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया जो उचित नहीं है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदक द्वारा विवादित भूमि श्रम धन खर्च कर कृषियोग्य बनाया है । स्वयं द्वारा धन खर्च कर विवादित भूमि को सिंचित किया है एवं इसके अलावा आवेदक के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई साधन अपना व अपने परिवार का भरणपोषण करने के लिये नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के हित में कोई विधिवत् कार्यवाही नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त भूमि व्यवस्थापित की है जबकि अनावेदकगण भूमिहीन व्यक्ति नहीं है उनके पास पूर्व से पर्याप्त भूमि है । भूमि व्यवस्थापन करने लिये प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 2–10–1984 के पूर्व से निरन्तर कब्जा होना चाहिये । अनावेदक के पास ना तो दिनांक 2–10–84 के पूर्व से व्यवस्थापन आदेश तक निरन्तर कब्जा है और ना ही व्यवस्थापन नियमों का पालन किया है । शासन की मंशा है कि भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्तियों को भूमि व्यस्थापित की जाना चाहिये परन्तु अनावेदकगण के पास पर्याप्त भूमि होने के बाद भी अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार बाह्य आदेश है । लिखित तर्क में यह उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने, बिना स्थल निरीक्षण किये, बिना पटवारी के कथन लिपिबद्ध किये तथा ग्राम पंचायत से भी अभिमत नहीं चाहा गया केवल फर्जी तरीके से अनावेदकगण के प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति होने से व्यवस्थापन आदेश उनके हित में पारित किया है । अंत में निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये उक्त भूमि शासन हित में किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि अनावेदकगण भूमि हीन कृषि मजदूर व्यक्ति होकर विधिवत् कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के हित में व्यस्थापित की गई है । अनावेदकगण का उक्त भूमि पर दिनांक 2–10–84 को कब्जा प्रमाणित है । अनावेदकगण को व्यवस्थापन की पात्रता है । नायब तहसीलदार जौरा द्वारा अधिकार क्षेत्र में होने से अनावेदकगण के हित में व्यस्थापन आदेश पारित किया है । इस आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा

पारित आदेश दिनांक 13—9—05 यथावत् रखे जाने योग्य है । आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई कब्जा अंकित नहीं है । कब्जे के संबंध में कोई रसीद अथवा अर्थ दण्ड आरोपित किया गया हो इस संबंध में प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है । इस कारण आवेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है तो निगरानी करने का उसे कोई अधिकार नहीं रह जाता है । अनावेदकगण द्वारा विवादित भूमि में श्रम धन खर्च कर कृषि योग्य बनाया है । स्वयं द्वारा खर्च कर विवादित भूमि का सिंचित किया है एवं इसके अलावा अनावेदक के पास अन्य कोई साधन अपना व अपने परिवार के भरणपोषण के लिये नहीं है । शासन की मंशा है कि भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्तियों को भूमि व्यवस्थापित की जाना चाहिये परन्तु अनावेदकगण के पास पूर्व से कोई भूमि होना प्रमाणित नहीं है । अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश पारित किया है जो विधिअनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है । अनावेदक द्वारा विधिवत् दिनांक 2—10—84 के पूर्व से कब्जा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है । उक्त कब्जे के आधार पर अनावेदकगण द्वारा विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया है । जिसके आधार पर उद्‌घोषणा जारी कर आपत्तियॉं आहूत की गई है । आपत्तियॉं समयावधि में प्राप्त नहीं हुई । ग्राम पंचायत से ठहराव प्रस्ताव चाहा गया तथा पटवारी हल्का द्वारा स्थल निरीक्षण कराया जाकर पटवारी के कथन लिपिबद्ध किये गये तथा अनावेदकगण स्वयं के कथन कराये जाकर स्वतंत्र साक्ष्य लिये जाकर विधिवत् नियमों का पालन करते हुये अनावेदकगण के हित में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 13—9—05 को पारित किया उसे आवेदक द्वारा 7 वर्ष पश्चात् निगरानी में चुनौती दी गई जो अवधि बाह्‌य होने से ही निरस्ती योग्य है । अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर व्यवस्थापन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् इश्तहार जारी कर आपत्ति आमंत्रित की गई तथा हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण कराकर रिपोर्ट भी प्राप्त की गई एवं विधिवत् साक्ष्य कराये जाकर प्रकरण में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5 / उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह प्रकरण भूमि व्यवस्थापन का है । प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण कमांक 02 / अ—19 / 2004—05 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13—09—05 को कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा स्वमेव निगरानी में ले लिया गया है और प्रकरण उनके समक्ष विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पुनरीक्षण औचित्यहीन हो जाता है । अतः इसी आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर